29/10/2020

पत्रावली पेश हुई। वादी श्री विजासन माता की ओर वादमित्र श्री अम्बालाल नायक एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की ओर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. का मय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सीविल रिट पिटीशन नम्बर 5451/2014 के आदेश दिनांक 14-01-2020 की प्रति एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्रकरण संख्या 100/2016 प्रा०पत्र के निर्णय दिनांक 23/11/2016 की प्रति, पेश किया गया। वाद मित्र अम्बालाल नायक द्वारा अपनी पहचान हेतु आधार पहचान पत्र पेश किया

निरन्तर (P.T.O.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2021.02.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया। पक्षकारान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त वाद वादी की ओर से आराजी संख्या 28, 54 व 55, 252 व 253 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें सारत: प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध आराजी संख्या 28, 54 व 55 के सम्बन्ध में राहत चाही गई थी। उक्त आराजीयात 28, 54 व 55 बाबत उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्रकरण संख्या 100/16 प्रार्थना पत्र में अन्तिम निर्णय हो चुका है, इसलिए अब इस वाद में अन्य कोई विवाद नहीं रहा है, क्योंकि पक्षकारान के मध्य विषय वस्तु का न्याय निर्णय हो चुका है। इस कारण वादी अब अपने वाद को नहीं चलाना चाहता है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण 4 से 10 औपचारिक पक्षकार हैं। इस प्रकरण में पारित आदेश के सम्बन्ध में रिविजन पिटीशन संख्या 1778/2014 श्रीमान राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 20-5-2014 को हुआ, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 5154/2014 सिजन होटल्स प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-11-2014 को स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में विवाद समाप्त हो जाने से पक्षकारान द्वारा उक्त रिट याचिका को भी विड्रो कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक [illegible]-01-2020 को स्वीकार किया गया [illegible] उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर में विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की। अत: प्रार्थी वादी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जरिये वाद विड्रोवल वाद खारिज फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2021.02.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फरमाने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रकरण मे विवाद समाप्त हो जाने से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन 5154/2014 खारीज की जाकर न्यायालय हाजा मे उपखण्ड न्यायालय गिर्वा से स्थानान्तरित होकर विचाराधीन इस प्रकरण को भी विड्रोवल किये जाने की अनुमति दी गई। आज न्यायालय मे पूछे जाने पर वादी द्वारा भी कुछ

निरन्तर (P.T.O.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2021.02.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# फद अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

बीजासन माता जी विपक्षी सीजन्स होटल प्रा० लि०

वाद पत्रावली संख्या 414 सन् 2019

नाम मुकदमा

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई |
| --- | --- | --- |
| | प्रकरण में विवाद समाप्त हो जाने से वाद विड्रो किया जाना स्वीकार किया गया। <br> अतः प्रकरण में विवाद समाप्त हो जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 14-01-2020 के अनुसार विड्रोवल की अनुमति दिये जाने से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा·दी· का स्वीकार किया जाकर जरिये वाद विड्रोवल वादी का वाद खारिज किया जाता है। <br> निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। <br> प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। <br> (डा० सौम्या झा I.A.S.) <br> सहायक कलक्टर <br> (फास्ट ट्रेक) गिर्वा <br> कलक्टर परिसर, उदयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2021.02.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner